

न्यायालयः गोपेश गर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड

आपराधिक प्रकरण क्रमांक-46/2017

संस्थापन दिनांक-11.02.2017

म0प्र0 राज्य द्वारा पुलिस थाना मालनपुर
जिला भिण्ड म0प्र0

-----अभियोजन

बनाम

धर्मेन्द्र पुत्र रामभरोसी माहौर उम्र 37 साल
निवासी निम्माजी खां जीवाजीगंज लश्कर
ग्वालियर म.प्र.

-----अभियुक्त

// अध्याय 21 द0प्र0सं0 के अधीन संक्षिप्त विचारण //

:- अपराध विवरण:-

अंतर्गत धारा 251 द.प्र.सं

मैं, गोपेश गर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड,

आप आरोपी धर्मेन्द्र पुत्र रामभरोसी माहौर को निम्नलिखित अपराध की विशिष्टियां पढ़कर सुनाता व समझाता हूँ कि :-

- 1 आपने दिनांक 10.02.17 को 17:30-17:45 बजे हनुमान चौराहा मालनपुर जिला भिण्ड पर वाहन लोडिंग क्रमांक एम0पी0-07-एल.2948 को वाहन के भारसाधक होते हुए लोकमार्ग पर खड़ा कर लोकपथ में बाधा उत्पन्न की।

आपका उक्त अपराध धारा 283 भा.द.स. के अधीन दण्डनीय अपराध है जो इस न्यायालय के संज्ञान में है मैं एतद् द्वारा निदेश देता हूँ कि आपके उक्त अपराध का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जावे।

सही / -

गोपेश गर्ग

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड

अभियुक्त का अभिवाक- अंतर्गत धारा 251 द.प्र.सं

सही / -

गोपेश गर्ग

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड

निर्णय

(आज दिनांक 11.02.2017 को पारित किया गया)

1. आरोपी द्वारा की गयी स्वेच्छापूर्वक दोषसिद्धि के अभिवाक के परिणामस्वरूप आरोपी को धारा 283 भा.द. स. के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है ।
- 2 आरोपी को निम्न तालिका अनुसार दण्डित किया जाता है

धारा	कारावास	अर्थदण्ड	अर्थदण्ड जमा करने के व्यतिक्रम की दशा में कारावास
283 भा.द.स.	कुछ नहीं।	दो सौ रुपये	पांच दिवस

3. प्रकरण में जप्त वाहन लोडिंग क्रमांक एम0पी0-07-एल.2948 आरोपी से जप्त हुआ है। अतः आरोपी द्वारा पांच लाख रुपये का स्वयं का बंधपत्र धारा 452 दप्रस के अधीन इस शर्त के अधीन प्रस्तुत किया जाये कि प्रकरण में अपील होने की दशा में अपील न्यायालय के समक्ष वह वाहन को प्रस्तुत कर देगा। जप्त वाहन आरोपी को प्रदान किया जाये।

सही /—

गोपेश गर्ग
जे.एम.एफ.सी गोहद जिला भिण्ड